हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मुकदमा नम्बर- 127/2024
धर्मसिंह वगै0 बनाम राजस्थान सरकार वगै0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5.9.24 पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम हासंलसर पटवार हल्का हासंलसर में आवेदक के पिता के खातेदारी अधिकार में भूमि खसरा नम्बर 1146, 1338, 1377, 1620/1146 कुल किता 4 कुल रकबा 4.9900 है0 भूमि अवस्थित चली आ रही है। आवेदक के पिता के देहान्त होने के पश्चात उक्त भूमि आवेदकगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गये। सेटलमेंट के दौरान कार्मिकों द्वारा जब पुराने खसरा नम्बरान से नये खसरा नम्बर कायम किये जा रहे थे उस दौरान राजस्व रिकार्ड में नये खसरा नम्बर डालते हुए उनका रकबा हैक्टेयर में परिवर्तित हो गया और साथ ही पुरानी नक्शासीट से नई नक्शासीट तैयार की गई, इस दौरान नक्शासीट में गलतियां रह गई। खसरा नम्बर 1146 की नक्शासीट सही तैयार नहीं की गई है। पुरानी नक्शासीट कायम किये जाने के दौरान पश्चिमी दिशा की जो सींव थी उस सींव को पुराना नक्शासीट के अनुसार तैयार न कर कम करते हुए तैयार की गई है। इस आधार पर नया नक्शासीट पुरानी नक्शासीट से पश्चिमी सींव की ओर मिलान नहीं खाती जबकि मौके पर आवेदकगण आज भी पुरानी नक्शासीट में वर्णितानुसार अपने रकबे पर कायम काबिज चले आ रहे है और अपनी भूमि निर्विवाद रूप से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। भूमि खसरा नम्बर 1146 का रकबा राजस्व रिकार्ड में तो 2.21 है0 दर्ज चला आ रहा है लेकिन नक्शासीट में उक्त क्षेत्रफल कम है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 1146 जिसके पुराने खसरा नम्बर 708, 712, 713 वाके ग्राम हासंलसर की पुरानी नक्शासीट के अनुसार नयी नक्शासीट को दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवावदेही तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार गुढागौड़जी ने अपने पत्रांक भू0अ0/24/2058 दिनांक 14.08.2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल मिशल किया गया। तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1146 रकबा 2.16 है0 का पुरानी नक्शासीट एवं नई नक्शासीट के अनुरूप तुलनात्मक विवरण पेश किया जाकर प्रस्तावित दुरूस्ती (शुद्धि) किया जाना उचित है, की अनुशंषा सहित पुरानी नक्शासीट व नई नक्शासीट की प्रति प्रेषित की है। पैरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया गया है कि तहसीलदार गुढागौड़जी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 14.08.2024 के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जा सकता हो व राजस्व हानि ना हो तो कोई एतराज नहीं है। पत्रावली पर बहस प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा प्रेषित जबाव/मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर बहस वकील प्रार्थी पर बगौर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर है कि खसरा नम्बर 1146 रकबा 2.21 की नई नक्शा सीट एवं पुरानी नक्शासीट में भिन्नता है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार गुढागौड़जी, पत्रावली पर उपलब्ध दस्जावेजातों के अनुसार न्यायालय मत पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम हासंलसर में खसरा नम्बर 1146 बाबत वर्तमान नक्शासीट को पुरानी नक्शासीट के अनुरूप शुद्ध करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 5.9.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature] 05/09/24